मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैक मर्यादित

प्रधान कार्यालय, न्यू मार्केट, तात्या टोपे नगर, भोपाल (म0प्र0)

कार्यालय दूरभाष क्रं 0755–2674738, 7024116560

बैंक उपयोग हेतु वाहन किराये से लेने की सूचना

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल के उपयोग हेतु बोलेरो, मारुति सियाज, मारुति स्वीफट डिजायर एवं समकक्ष वाहन जो वर्ष जनवरी 2021 के बाद आरटीओ में पंजीकृत हो को किराये पर लिया जाना है। इच्छुक एजेन्सी/व्यक्ति को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने हेतु निर्धारित शुल्क राशि रु 1000.0 एवं जीएसटी राशि सहित ऑनलाइन आवेदन दिनांक **05.09.2023 से दिनांक 25.09.2023 तक** Madhya Pradesh e-Procurment Portal http// www.mptenders.gov.in पर कर सकते है । किसी भी समय बिना कारण बताये प्राप्त आवेदनों को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार ''प्रभारी प्रबंध संचालक'' को होगा । विज्ञापन एवं शर्ते बैंक की वेबसाईट www.apexbank.in पर भी देखी जा सकती हैं ।

प्रभारी प्रबंध संचालक

M.P. RAJYA SAHAKARI BANK MYDT
T T NAGAR, BHOPAL
Notice Inviting E- Tender

Online tenders are inviting on prescribed form from registered agency/ firm/individual registered at RTO office transport department under M.P. Govt. for following vehicles-

Sr.no.	Name of work	P.A. of contract	Amount of E.M. deposited Rs.	Cost of tender form with GST	Stipulated period of completion(service provide)	Date and time of Recepits of Tender
1.	Providing and supply 4 number four wheel vehicles on rent basis from agency/ firm/individual registered at RTO office transport department under M.P. Govt.The details of vehicles are as under- 1. 02 no. Bolero or Equivalent 2. 01 no. Maruti Ciaz or Equivalent 3. 01. Swift Dzire or Equivalent	20.00 lacs	50000.00	1180.00	01 years	05.09.2023 to 25.09.2023

1. Eligible tenders can purchase the tenders documents on payments of requisite through online form 05-09-2023to 25-09-2023 during office hours i.e 10.30 am to 5.30 am from website http//www.mptenders.gov.in
2. The details of N.I.T. can be viewed on our website www.apexbank.in

Incharge Managing Director

Other Conditions-
1. Earnest money should be paid through Madhya Pradesh e-Procurment Portal http// www.mptenders.gov.in EMD amount in any other form will not be acceptable.
2. The tenders of those who have not paid earnest money as per above tender will not be opened.
3.Technical bid opened on 27-09-2023 at 4.00 pm
4. Price bid opened on 30-09-2023 at 4.00pm.
5. The Bank resrves its rights to reject any or all the tenders without assigning any reason.

Incharge Managing Director

आवेदन फार्म (निविदा प्रारुप)

<u>अपेक्स बैंक हेतु वाहन किराये पर लेने हेतु</u>

1	व्यक्ति / संस्था / एजेन्सीज का नाम	....
2	व्यक्ति / संस्था / एजेन्सीज का पता	....
3	मोबाइल नं. एवं लैंडलाइन नं.	
4	व्यक्ति / प्रोप्रायटर / अधिकृत व्यक्ति का आधार कार्ड नंबर	
5	ईमेल का पता	
6	वाहन नं.	
7	वाहन मेक / माडल A. BOLERO Or Equivalent B.Swift Desire Or Equivalent C.Innova Crysta Or Equivalent D.Honda City / Maruti Ciaz Or Equivalent	....
8	वाहन की एक्स शोरूम कीमत	....
9	वाहन का क्रय वर्ष	....
10	वाहन मालिक का हक प्रथम / द्वितीय	....
11	प्रतिमाह किराये की दर (अधिकतम 1000 कि.मी. प्रतिमाह हेतु दरें देवें) अ. वातानुकुलिन वाहन हेतु।	....

	A. BOLERO Or Equivalent B.Swift Desire Or Equivalent C.Innova crysta Or Equivalent D.Honda City / Maruti Ciaz Or Equivalent	....
12	1. प्रतिदिन अधिकतम 8 घंण्टे एवं 80 कि.मी हेतु दरें । 2 . प्रतिदिन अधिकतम 10 घंण्टे एवं 120 कि.मी हेतु दरें । (इसमे भोपाल लोकल एवं आसपास भ्रमण भी शामिल होगा) A. BOLERO Or Equivalent B.Swift Desire Or Equivalent C.Innova Crysta Or Equivalent D.Honda City / Maruti Ciaz Or Equivalent	....
13	कमांक 12 में यात्रा की अवधि या यात्रा की दूरी या दोनो ही में वृध्दि होती है उस स्थिति में प्रति कि.मी. दर (यह दर अधिकतम 150 कि.मी.तक लागु होगी) A. BOLERO Or Equivalent B.Swift Desire Or Equivalent C.Innova crysta Or Equivalent D.Honda City / Maruti Ciaz Or Equvalent	....
14	क.11 मे वाहन यात्रा दूरी माह में 1000 कि.मी. से ज्यादा होती है तो प्रति कि.मी. की दरें। अ. वातानूकुलिन वाहन हेतु। A. BOLERO Or Equivalent B.Swift Desire Or Equivalent C.Innova crysta Or Equivalent D.Honda City / Maruti Ciaz Or Equvalent	....
15	मुख्यालय से बाहर भ्रमण हेतु दरें प्रति कि.मी .(यह दर 150 कि.मी. से उपर की यात्रा पर लागू होगी)।	

	अ. वातानूकुलिन वाहन हेतु A. BOLERO Or Equivalent B.Swift Desire Or Equivalent C.Innova crysta Or Equivalent D.Honda City / Maruti Ciaz Or Equvalent	....
16	मुख्यालय से बाहर भ्रमण हेतु रात्रि विश्राम की दर (प्रति रात्रि विश्राम)	....

वाहन के चार प्रकार के मेक/माडल लिए गए है जिसके अनुसार 11,12,13,14,15 में चारों प्रकार के वाहनो की दरें भरी जावें।

स्थानः–
दिनांकः–

व्यक्ति/एजेंसी/संस्था का नाम एवं सील

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित को वाहन किराये पर लेने हेतु नियम एवं शर्ते

1. वाहन मालिक/संस्था सर्विस टैक्स देने की पात्रता रखता हो तथा वाहन मालिक संस्था का केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग में पंजीयन (पन्द्रह डिजिट का कोड नंबर) होना अनिवार्य है ।
2. एजेंसी का पंजीयन क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में होना अनिवार्य है।
3. वाहन किराये पर लेने की अवधि एक वर्ष के लिये होगी।
4. वाहन किराये पर लेने की अवधि आवश्यकतानुसार कम अथवा अधिक की जा सकती है, जिसकी सूचना पूर्व में दी जाएगी। दोनो पक्षो की आपसी सहमति से करार की समय सीमा में वृद्धि की जा सकेगी
5. वाहन माडल जनवरी 2021 से अधिक पुराना नही होना चाहिए । यदि नया वाहन क्रय कर प्रदाय किया जाता है तो तदानुसार घोषणा पत्र संलग्न करें । वाहन अच्छी हालत में होना चाहिए एवं उसे क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में टैक्सी कोटे में पंजीकृत होना चाहिये ।
6. सभी वाहन वातानूकूलित उपलब्ध कराये जाने होंगे।
7. वाहन पेट्रोल/डीजल एवं ड्रायवर सहित उपलब्ध कराना होगा ।
8. वाहन चालक के अवकाश में रहने की स्थिति में दूसरा वाहन चालक उपलब्ध कराना होगा। वाहन चालक को निर्धारित लायसेंस धारी होना चाहिए तथा उसका आचरण शालीन तथा अनुशासित होना चाहिए । उसके विरूद्ध किसी भी थाने (पुलिस) में अपराध पंजीबद्ध नही होना चाहिए ।
9. वाहन को नियमित रूप से मैन्टेनेंस किया जाना आवश्यक है तथा वाहन में फ्यूल, मैन्टेनेंस, वाहन चालक का एवं समस्त व्यय वाहन किराये पर देने वाली एजेन्सी द्वारा वहन किया जाएगा ।
10. वाहन एजेन्सी पर देय समस्त शासकीय/अन्य करों आदि के नियमानुसार भुगतान पर व्यय वाहन किराये पर देने वाली एजेन्सी द्वारा वहन किया जाएगा । भुगतान योग्य राशि पर नियमानुसार टी.डी.एस. कटोत्रा किया जाएगा । जीएसटी का भुगतान ट्रेवल एजेन्सी द्वारा किया जाएगा ।
11. (अ) किराये पर प्राप्त किये जाने वाला वाहन बीमित (Insured) होना चाहिए तथा वाहन के साथ कोई दुर्घटना होने की स्थिति में समस्त प्रकार का उत्तरदायित्व वाहन किराये पर देने वाली एजेन्सी का होगा।

    (ब) वाहन की चोरी, क्षतिग्रस्त होने पर समस्त कानूनी कार्यवाही का उत्तरदायित्व संबंधित एजेन्सी का होगा ।

12. किसी माह प्रवास की स्थिति में या लोकल में भी 1000 कि.मी. से अधिक उपयोग पर प्रति कि0मी0 किराए की दर स्वीकृत निविदानुसार पृथक से देय होगी।
13. आवेदन में मुख्यालय से भ्रमण हेतु फिक्सड चार्ज एवं मुख्यालय से बाहर भ्रमण हेतु प्रति कि0मी0 परिवर्तनशील दर पृथक-पृथक दर्शायी जावेगी तथा मासिक दर समस्त करों सहित दर्शाया जाए ।
14. वाहन किराये पर देने वाली एजेन्सी द्वारा संपूर्ण माह के लिये (अवकाश दिवसो सहित) निरन्तर वाहन, वाहन चालक सहित किराये पर उपलब्ध कराया जाएगा । यदि किसी दिन वाहन उपलब्ध नही हुआ तो प्रत्येक दिवस के लिये रू. 500.00 (अक्षरी रूपये पांच सौ मात्र) के मान से भुगतान में कटौत्री की जाएगी।
15. वाहन किराये पर लेने की अवधि आवश्यकतानुसार कम अथवा अधिक की जा सकती है, जिसकी सूचना पूर्व में दी जाएगी। दोनो पक्षो की आपसी सहमति से करार की समय सीमा में वृद्धि की जा सकेगी ।
16. वाहन की टूट-फूट होने पर रिपेयरिंग का खर्च, नियमित रिपेयरिंग एवं सर्विसिंग आदि का व्यय वाहन मालिक को करना होगा । वाहन खराब होने की स्थिति में अन्य वाहन (अच्छी हालत में) उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा । यदि तीन दिवस तक लगातार वाहन उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो उक्त वाहन की निविदा निरस्त की जा सकेगी ।
17. रूपये 1000/- के स्टाम्प पर चयनित निविदाकर्ता द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि समस्त शर्ते उन्हे मान्य है ।
18. रूपये 50,000/- की अर्नेस्ट मनी ऑनलाइन जमा की जानी होगी।

19. निम्नानुसार सीलबंद 2 लिफाफा संलग्न करना होगा ।

(अ) अर्नेस्ट मनी का लिफाफा जिस पर '' अर्नेस्ट मनी, समस्त तकनीकी योग्ताओं के सहपत्रों सहित'' लिखा हो।

(ब) टेंडर फार्म का लिफाफा,

प्रथम एवं द्वितीय निविदाकर्ता को छोड़कर शेष की अर्नेस्ट मनी वापिस कर दी जाएगी।

20. <u>तकनीकी योग्यताऐं :-</u>

1. निविदाकर्ता के नाम से वाहन टेक्सी कोटे में रजिस्टर्ड होना चाहिए प्रमााण स्वरुप वाहनों के R C की छायाप्रति संलग्न करना होगी।

2. निविदकार्ता के द्वारा वाहन का रोड टेक्स भुग्तान किया होना चाहिए। रोड टेक्स से संबंधित प्रमाण संलग्न करें।

3. वाहन बीमित होना चाहिए (Comprehensive cover)

4. निविदाकर्ता के पास वैध पेन नंबर होना चाहिए।

5. निविदाकर्ता को टेक्सी सर्विस का एक वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

6. राशि रु 50000.00 की अर्नेस्ट मनी जमा की होनी चाहिए विवरण अपलोड अवश्य करें।

21. निविदा को मान्य, अमान्य, स्थगित करने या वाहनों की संख्या कम/ज्यादा करने का पूर्ण अधिकार मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित के पास सुरक्षित रहेगा। निविदा बैंक द्वारा खोली जावेगी। सर्वप्रथम ''अ'' लिफाफा को खोलकर शर्ते पूर्ण करने वाली संस्थाओं की सूची तैयार की जायेगी । जिन संस्थाओं द्वारा शर्ते पूर्ण नही की जा सकेगी उनका ''ब'' लिफाफा नही खोला जायेगा। तैयार की गई सूची में निविदाकारों को न्यूनतम दरों के आधार पर प्रथम/द्वितीय सफल निविदाकार घोषित किया जायेगा ।

22. निविदा स्वीकार होने पर वाहन 03 दिवस में उपलब्ध कराना होगा तथा निर्धारित प्रारूप में जानकारी (वाहन तथा वाहन चालक की) संबंधित एजेन्सी को बैंक मे देना होगी।

23. आवेदन फार्म के बिन्दु क्रं 12 एवं 13 अनुसार प्रतिदिन किराये के हिसाब से आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराना होगा।

24. बिन्दु क्रं 11 अनुसार प्रतिमाह हेतु वाहन किराये आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराना होगा।

25. वाहनों को मुख्यालय परिसर/ गेस्ट हाउस/ ट्रेनिंग कॉलेज/आवासयीय परिसर एवं वाहन आबंटन अधिकारी के निवास पर खडी की जावेगी।

26. टोल टेक्स की राशि मासिक आधार पर वाहन मालिक द्वारा बैंक को प्रस्तुत किये जाने होंगें , जिसका पुर्न भुगतान बैंक द्वारा किया जावेगा।

27. यदि बैंक में वाहन किराये से लिये जाने के उपरांत कोई नियम शर्तो या अतिरिक्त दरें निर्धारण की आवश्यकता होती है, तो एजेन्सी/व्यक्ति एवं बैंक की आपसी सहमति से किया जा सकेगा।

28. वाहन चालक को सामान्तः सुबह 9.00 बजे से शाम 7.00 बजे तक ड्युटी प्रदान की जानी होगी। वाहन चालक को आवश्यकता होने पर कार्यालयीन समय के उपरांत एवं अवकाश के दिन में भी ड्युटी की जानी होगी।

29. किराये की गाडी का उपयोग करने की स्थिति में इसका अनुमोदन नियंत्रण अधिकारी/प्रभारी प्रबंध संचालक से अनिवार्य होगा।

30. लागबुक रखना होगगी जो बैंक द्वारा उपलब्ध कराई जानी होगी।

31. वाहन चालक के पास अधिकृत लाइसेंस होना चाहिए , वाहन की पीयूसी होना चाहिए।
32. वाहन में फास्टेग होना अनिवार्य है।
33. वाहन का वैध पंजीयन एवं बीमा होना चाहिए।
34. वाहन चालक व्यवस्थित ड्रेस मे होना चहिये जो ठेकेदार/एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराई जानी होगी।
35. अनुबंध की अवधि में यदि डीजल/पेट्रोल में कोई वृद्धि होती है , तो बैंक द्वारा अलग से भुगतान नही किया जायेगा।
36. प्रस्तुत की गई दरें सभी टैक्स सहित होगी, जीएसटी का भुगतान पृथक से किया जावेगा।
37. वाहन चालक को ठेकेदार/एजेंसी द्वारा एक मोबाइल उपलब्ध कराया जाना होगा।
38. टेंडर शुल्क एवं अनेस्ट मनी ऑन लाइन जमा की जानी होगी।
39. अनेस्ट मनी की राशि S D के रुप में अनुबंध की अवधि तक रखी जावेगी। तथा अनुबंध समाप्त होने पर वापस की जावेगी। यदि बैंक को क्षति होती है तो राशि से वसूल की जावेगी।
40. वर्तमान में चाहे गये 04 वाहन उपलब्ध कराये जाने होंगे,आवश्यकतानुसार अनुबंधित टेंडर अवधि में दी गई दरों पर अन्य वाहन भी उपलब्ध कराये जाने होंगे।
41. यह कि वाहन बैंक द्वारा 24 घण्टे हेतु अनुबंधित किया जा रहा है । उक्त वाहन आबंटित अधिकारी के निवास/मुख्यालय गेस्ट हाउस, ट्रेनिंग कालेज पर रहेगा, यदि उक्त वाहन को प्रथम पक्षकार का वाहन चालक उक्त वाहन मरम्मत/सर्विसिंग हेतु ले जाता है तो उसकी रीडिंग संबंधित अधिकारी के पास नोट कराना आवश्यक होगा ।
42. बैंक की 07 संभागीय शाखा यथा भोपाल, उज्जैन, रीवा, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर एवं सागर में स्थिति है, इन शाखाओं में वर्तमान में बैंक वाहन उपलब्ध है, भविष्य में भी इन शाखाओं में भी किरायें के वाहन की आवश्यकता होगी । अतः एजेंसी को इन सातों शाखाओं में भी इसी दर पर किराये से वाहन उपलब्ध कराया जाना होगा।

—: अनुबंध पत्र :—

1. यह अनुबंध प्रथम पक्षकार मेसर्स .... निवासी/पता .... तथा द्वितीय पक्षकार म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्यादित , भोपाल, मुख्यालय टी.टी नगर के मध्य आज दिनांक .... को निष्पादित किया जा रहा है तथा यह अनुबंध दिनांक .... से .... तक की अवधि के लिये लागू होगा ।
2. यह कि म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्यादित मुख्यालय भोपाल के पत्र क्रमांक .... दिनांक .... द्वारा समाचार पत्रो में सूचना प्रकाशित की जाकर ऑनलाइन टेंडर बैंक के लिये वाहन किराये पर लिये जाने संबंधी निविदा आमंत्रित की गई थी । उक्त निविदा सूचना के अनुक्रम में प्रथम पक्षकार .... द्वारा अपने वाहन किराये पर दिये जाने संबंधी निविदायें प्रस्तुत की गई थी । अंतिम रूप से वाहन के लिये प्रथम पक्षकार के वाहन को किराये पर ए.सी. वाहन लेने के लिये दरें संलग्न है ।
3. यह कि उक्तानुसार निर्धारित दरों पर प्रथम पक्षकार अपना वाहन मासिक किराये के आधार पर एवं साथ ही इसके अतिरिक्त टैक्सी लोकल स्तर पर या प्रवास हेतु उपलब्ध कराने हेतु वचनबद्ध है इस हेतु प्रतिमाह की दर से द्वितीय पक्षकार द्वारा संलग्न दरों से ए.सी.वाहन हेतु भुगतान किया जावेगा ।
4. मासिक किराये के तहत वाहन का उपयोग प्रतिमाह अधिकतम 1000 कि0मी0 होगा ।
5. प्रथम पक्षकार संस्था जीएसटी देने की पात्रता रखता हो तथा उसका गुड एवं सर्विस टैक्स विभाग में पंजीयन (पन्द्रह डिजिट का कोड नंबर) होना अनिवार्य है ।
6. यह कि प्रथम पक्षकार द्वारा संपूर्ण माह के लिये (अवकाश दिवसों सहित) वाहन को वाहन चालक सहित उपलब्ध कराना आवश्यक होगा यदि किसी दिन वाहन उपलब्ध नही होगा तो प्रत्येक दिवस के लिये रूपये 500/— (अक्षरी रूपये पॉच सौ मात्र) के मान से भुगतान में कटौती की जावेगी ।
7. यह कि प्रथम पक्षकार द्वारा वर्ष जनवरी 2021 तथा उसके बाद के नवीन मॉडल का वाहन उपलब्ध कराया जावेगा । वाहन अच्छी हालत में होगा तथा उपलब्ध कराया जाने वाला वाहन क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में टैक्सी कोटे में पंजीबद्ध होगा। प्रथम पक्षकार द्वारा वाहन, पेट्रोल/डीजल एवं ड्रायवर सहित उपलब्ध कराना होगा ।
8. प्रथम पक्षकार वाहन चालक के अवकाश पर रहने की स्थिति में दूसरा वाहन चालक उपलब्ध कराया करावेगा प्रथम पक्षकार यह भी सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक निर्धारित लायसेंसधारी होगा तथा उसका आचरण शालीन तथा अनुशासित होगा । उसके विरूद्ध कोई अपराधिक प्रकरण किसी भी थाने या न्यायालय में पंजीबद्ध नही होगा ।
9. प्रथम पक्षकार का वाहन नियमित रूप से होने वाला मैटेंनेंस करेगा तथा वाहन में सर्विसिंग, फ्यूल, वाहन चालक एवं अन्य समस्त व्यय वहन करेगा ।
10. वाहन/एजेन्सी पर देय समस्त शासकीय/अन्य करों आदि का नियमानुसार भुगतान का दायित्व प्रथम पक्षकार का होगा जीएसटी का भुगतान भी प्रथम पक्षकार द्वारा किया जावेगा ।
11. वाहन किराये पर लेने की अवधि आवश्यकतानुसार कम अथवा अधिक की जा सकती है, जिसकी सूचना पूर्व में दी जावेगी । दोनो पक्षो की आपसी सहमति से मूल निविदा पुरानी शर्तो के साथ बढ़ाई जा सकेगी।
12. द्वितीय पक्षकार द्वारा भुगतान योग्य राशि पर आयकर का स्त्रोत पर कटोत्रा किया जावेगा।
13. प्रथम पक्षकार द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाला वाहन का बीमित (INSURED) होगा तथा वाहन के साथ कोई दुर्घटना होने की स्थिति मे समस्त प्रकार का उत्तरदायित्व प्रथम पक्षकार का होगा। इसके अतिरिक्त वाहन की चोरी अथवा क्षतिग्रस्त होने पर समस्त कानूनी कार्यवाही का उत्तरदायित्व प्रथम पक्षकार का होगा तथा द्वितीय पक्षकार इसके लिये किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नही होगा ।

14. यह कि प्रथम पक्षकार रूपये 50,000/– की सुरक्षा निधि द्वितीय पक्षकार एवं प्रथम पक्षकार के नाम संयुक्त रुप से सावधि निक्षेप बनाकर बैंक के पास जमा रखी जायेगी, जो अनुबंध की समाप्ति के उपरांत वापिस की जावेगी ।
15. प्रस्तुत देयक के वाहन की प्रतिमाह की रीडिंग लागबुक में अंकित कर तथा उसको संबंधित अधिकारी से अभिप्रमाणित कराकर तथा एजेंसी से प्रमाणीकरण करवाया जाकर माह अंत में देयक के साथ आवश्यक रूप से कार्यालय में प्रस्तुत करेगा ।
16. लागबुक बैंक द्वारा उपलब्ध कराई जावेगी जिसके प्रारुप में वाहन चालक द्वारा पूर्ति की जावेगी।
17. यह कि वाहन बैंक द्वारा 24 घण्टे हेतु अनुबंधित किया जा रहा है । उक्त वाहन आबंटित अधिकारी के निवास/मुख्यालय गेस्ट हाउस, ट्रेनिंग कालेज पर रहेगा, यदि उक्त वाहन को प्रथम पक्षकार का वाहन चालक उक्त वाहन मरम्मत/सर्विसिंग हेतु ले जाता है तो उसकी रीडिंग संबंधित अधिकारी के पास नोट कराना आवश्यक होगा ।
18. बैंक की 07 संभागीय शाखा यथा भोपाल, उज्जैन, रीवा, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर एवं सागर में स्थिति है, इन शाखाओं में वर्तमान में बैंक वाहन उपलब्ध है, भविष्य में भी इन शाखाओं में भी किरायें के वाहन की आवश्यकता होगी । अतः एजेंसी को इन सातों शाखाओं में भी इसी दर पर किराये से वाहन उपलब्ध कराया जाना होगा।

यह अनुबंध दिनांक.................................. को नीचे दिये गये ग्वाहों के समक्ष किये गये है एवं अनुबंध दोनो पक्षकारों को स्वीकार है।

गवाह :–

1. हस्ताक्षर .... प्रथम पक्षकार

नाम ....

पता ....

....

2. हस्ताक्षर .... द्वितीय पक्षकार

नाम ....

पता ....

....

वाहन चालक द्वारा प्रतिदिन लागबुक को भरा जावेगा तथा संबंधित अधिकारी से प्रमाणित भी करवाना होगा।

प्रभारी प्रबंध संचालक
मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्या,भोपल